(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4341–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–07–2011 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार राजनगर प्रभारी क्षेत्र चन्द्रनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक निगरानी 20/अ–3/2010–11

भागीरथ तनय सुकरती अहिरवार
निवासी ग्राम लखेरी तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

भागवती पत्नी जगदीश प्रसाद
निवासी ग्राम लखेरी तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर

.... अनावेदक

....

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक आवेदक
श्री एल0एस0धाकड़, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/11 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार राजनगर प्रभारी क्षेत्र चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–07–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका के पति द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में अपनी भूमि की तरमीम किये जाने हेतु दिनांक 25–5–2011 को आवेदन प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो स्वयं और ना ही राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी के माध्यम से आवेदक को कोई सूचना या जानकारी उक्त तरमीम के संबंध में दी गई । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से सहमत होकर दिनांक 11–7–2011 को आदेश

पारित कर तरमीम स्वीकार की गई । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी आवेदक को दिनांक 25–5–2012 को उस समय प्राप्त हुई जब अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण कमांक 14/अ–70/2011–12 के द्वारा आवेदक को उसके हो रहे निर्माण को रोकने बावत् स्थगन आदेश प्राप्त हुआ तब आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–6–12 को प्रश्नाधीन तरमीम गलत हुई है, के पुनर्विलोकन हेतु संहिता के प्रावधान के तहत आवेदन पेश किया जिसकी सुनवाई उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का पुनर्विलोकन का आवेदन दिनांक 07–11–2012 को खारिज कर लेख किया कि आवेदक योग्य न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करें यदि वह सरहद्दी काश्तकार है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–07–2011 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को बिना सूचना व जानकारी दिये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया जबकि आवेदक बटांकधारी है जिससे आदेश दिनांक 11–7–2011 विधि के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन तरमीम के पूर्व नियमानुसार इश्तहार का भी प्रकाशन नहीं कराया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत तरमीम आवेदन में किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही तलबाने में प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर है साथ ही तलवाना में तलवी हेतु राजस्व टिकिट भी चस्पा नहीं है । तर्क में यह भी बताया कि प्रश्नाधीन भूमि गंज लखेरी डामर रोड से लगी हुई कीमती भूमि है जिसके अधिक भाग की तरमीम रोड के किनारे अनावेदक के हिस्से में करने से व्यक्तिगत लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से तथा आवेदक को क्षति पहुॅचाने से सम्पूर्ण प्रश्नाधीन प्रकरण में कानून की अनदेखी कर आदेश पारित कराया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–07–2011 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यही कहा कि विचारण तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा कमांक 595 में नक्शे पर पूर्व में किसी भी बटांक की तरमीम नहीं थी । इस प्रकरण में मात्र अनावेदक के 595/1/1 के बटांक की नप्ती कर तरमीम प्रस्ताव तैयार किया गया । सर्वे कमांक 595 के अन्य बंटाकधारी को न तो सूचना दी गई, न बुलाया गया और न अन्य बंटाकों की तरमीम की गई । जबकि बंटाकों के अनुरूप नक्शे में तरमीम का कर्तव्य सक्षम राजस्व अधिकारी का है । अतः उक्त तरमीम की कार्यवाही विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त की जाती है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह सर्वे कमांक 595 के सभी बंटाक धारियों तथा सरहदी काश्तकारों को सुनकर/उपस्थिति में सीमांकन कर समग्र प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर